**Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences** ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 6, JUNE - 2022 Publication Date: 30/06/2022

DOIs:10.2018/SS/202206016 --:-- Research Article

# भारत में अनुसूचित जाति कल्याण

**अमित यादव**
शोधार्थी
भूगोल विभाग

**डॉ. साधना रानी**
शोध निर्देशक
विभागाध्यक्ष भूगोल

वी•एस•एस•डी• पी•जी• कॉलेज, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
ईमेल - amity2686@gmail.com

**सारांश**:- देश की आजादी के साथ ही पारंपरिक समाज व्यवस्था में भी बदलाव की शुरुआत हुई है अनुसूचित जातियों को विकास के नए अवसर प्रदान करने के सरकारी प्रयास किए गए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों एवं प्रयासों के बारे में चर्चा की गई है। इस शोध पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के साथ उनके शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं चलाई जा रही कुछ योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

**मुख्य बिंदु** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, योजना ।

## 1. प्रस्तावना:

जाति की अवधारणा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्राचीन भारतीय समाज में चार वर्णों की संकल्पना की गई है। समय के साथ यह वर्ण कई जातियों एवं उप जातियों में बंटते चले गए कालांतर में उच्च जातियों व निम्न जातियों के रूप में सामने आए। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का लगातार शोषण किया गया क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से शूद्र, उच्च जातियों पर निर्भर रहे। अनुसूचित जातियां देश में वे जातियां हैं जो अस्पृश्यता और कुछ अन्य सदियों पुरानी प्रथाओं के कारण अत्याधिक सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं इनके सामाजिक आर्थिक शैक्षिक विकास के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके हितों और इनके त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

## 2. अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए संवैधानिक तंत्र :

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं की चिंता उनके उत्थान के लिए स्थापित विस्तृत संवैधानिक तंत्र में परिलक्षित होती है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।

• अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य दुर्बल वर्गों विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

• अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।

• अनुच्छेद 15 (4) इनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है।

• अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

• अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है जो उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करने विशिष्ट शिकायतों की जांच करने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने का कार्य करेगा।

• संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 335 में क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों से संबंधित भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IXA के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है और प्रदान किया गया है।

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं नागरिकों के रूप में उनके सामान्य अधिकारों की सुरक्षा का उपाय किया गया है। शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के उद्देश्य से इन सामाजिक समूहों को संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से संस्थागत प्रतिबद्धताएं भी प्रदान की गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख के लिए नोडल मंत्रालय है।

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख के लिए नोडल मंत्रालय है, यद्यपि अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके संचालन के क्षेत्र में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप के द्वारा उनके प्रयासों को पूरा करता है। मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो का कार्य अनुसूचित जातियों के कल्याण को उनके शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बढ़ावा देना है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रयासों की भी निगरानी की जाती है।

### 3. अनुसूचित जाति के विकास के लिए की गईं पहल :-

**शैक्षिक सशक्तिकरण**

अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके परिवारों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे शिक्षा से वंचित न किए जाएं। ये छात्रवृत्तियां मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक दोनों स्तर पर प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत एवं विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छात्रवृत्ति को मोटे तौर पर निम्न तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है -

• **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति :** प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बच्चों के माता-पिता को उनके बच्चों को शिक्षित करने में सहायता करना है ताकि इस स्तर पर स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके।
सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का 100% खर्चा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है।

• **अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :** यह शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है जो कि 100% केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है।
• **उच्च शिक्षा तथा कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति :** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, चिकित्सा, कानून व शिक्षा से जुड़े अन्य उत्कृष्ट संस्थानों में 12वीं कक्षा तथा स्नातक के आगे के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय फेलोशिप : यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को एमफिल, पीएचडी और समकक्ष शोध डिग्रियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति : यह योजना अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति खानाबदोश जनजातियों आदि से संबंधित छात्रों को विदेश में मास्टर स्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों और उच्च अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करती है।

**अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना :** इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके और सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में उपयुक्त नौकरी प्राप्त कर सकें समूह ' अ ' और ' ब ' की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, राज्य पीसीएस, बैंक, बीमा और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षा के साथ ही इंजीनियरिंग मेडिकल और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे प्रबंधन कानून आदि की प्रवेश परीक्षा के लिए भी कोचिंग प्रदान की जाती है।

**4. आर्थिक सशक्तिकरण :**

• **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (NSFDC) :** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किसका गठन किया गया है, इसके द्वारा गरीबी रेखा की सीमा से दोगुने नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों कि आय सर्जन गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए (वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपए 98033 और शहरी क्षेत्र के लिए रुपए 120000 प्रतिवर्ष) व्यवस्था की जाती है। एन एस एफ डी सी ऋण पुनर्वित्त, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों आरआरबी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व अन्य संस्थानों के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान करके लक्षित समूह की सहायता करता है।

• **राष्ट्रीय सफाई करमचारी और विकास निगम (NSKFDC) :** यह मंत्रालय के तहत एक अन्य निगम है जो राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की बीच आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है।

• **अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता :** यह अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक नीतिगत पहल है जिसमें कुछ मानदंडों जैसे राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, राज्य का सापेक्षिक पिछड़ापन, राज्य में अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत जो राज्य योजना में समग्र आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए हैं के आधार पर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के SCSP को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। यह अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विकास के सभी सामान्य क्षेत्रों से लक्षित वित्तीय एवं भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति है इस योजना के तहत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों को निर्धारित करके अपनी वार्षिक योजनाओं के हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (SPC) तैयार करने एवं लागू करने की आवश्यकता है।

• **अनुसूचित जाति विकास निगम (SCDC) सहायता योजना :** केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 49 : 51 के अनुपात में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (SCDC) को शेयर पूंजी योगदान जारी किया जाता है। कुल 27 राज्य स्तरीय निगम हैं जो अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें से कुछ निगम समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं।
SCDC के मुख्य कार्यों में पात्र अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करना, उन्हें आर्थिक विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों से योजना को प्रायोजित करना, मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। चुकौती देयता को कम करने और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक गठजोड़ प्रदान करने के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधि से सब्सिडी प्रदान करना है। एससीडीसी लक्षित समूह को मार्जिन मनी ऋण और सब्सिडी के माध्यम से ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एससीडीसी आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली रोजगार उन्मुख योजनाओं को वित्त पोषित करते हैं, जिसमें i. सिंचाई सहित कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां ii. लघु उद्योग iii. परिवहन iv. व्यापार और सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

• **अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष :** निधि का उद्देश अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हों साथ ही अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करना है। कोष 16 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। IFCI LIMITED इसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

• **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना :** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित युवा और स्टार्टअप उद्यमियों को क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान करना है इसका एक लक्ष्य समाज के निचले तबके में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन के अलावा अनुसूचित जाति पर विश्वास जताना भी है। यह योजना 6 मई 2015 को शुरू की गई।

**5. सामाजिक सशक्तिकरण :**

• **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 :** भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया और 18 मई 1955 को अधिसूचित किया गया। 1976 में इसे संशोधित कर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत नियम अर्थात नागरिक अधिकारों का संरक्षण नियम, 1977 को 1977 में अधिसूचित किया गया था यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और अस्पृश्यता की प्रथा के लिए दंड का प्रावधान करता है इसे संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित राज्य के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

• **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 :** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस अधिनियम में अत्याचार पीड़ितों को राहत, अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन, विशेष अदालतों की स्थापना आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम,2015 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ।

• **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम,1995 :** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 में संशोधन कर अत्याचार के शिकार लोगों को राहत राशि बढ़ाकर अपराध की प्रकृति के अनुसार 75000 से 750000 के बीच कर दी गई यह संशोधन 14 अप्रैल 2016 को भारत के राज्य पत्र में अधिसूचित किया गया है।

• **मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (MS एक्ट 2013) :** शुष्क शौचालयों का उन्मूलन और हाथ से मैला ढोने वालों को वैकल्पिक व्यवसाय उपलब्ध कराना एवं उनका पुनर्वास सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है इस दिशा में एक बहुआयामी रणनीति का पालन किया गया जिसमें निम्नलिखित विधायी और कार्यक्रम संबंधित हस्तक्षेप शामिल थे -

1. हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993।

2. शहरी क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए एकीकृत कम लागत स्वच्छता (ILCS) योजना।

3. मैदान ढोने से मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (NSLRS) का शुभारंभ।

4. हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना।

सरकार द्वारा किए गए उपयुक्त उपायों के बावजूद हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी रही जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के जारी होने से स्पष्ट हो गई जो देश में 26 लाख से अधिक अस्वच्छ शौचालय के अस्तित्व का संकेत देती है। इसलिए सरकार ने एक और कानून 'मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' पारित किया जो कि 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य धन्यवाद के साथ साथ निम्न लक्ष्य हासिल करना है -

1. शुष्क शौचालयों की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना।
2. निषेध करना : i. मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार, ii. सेप्टिक टैंक की खतरनाक मैनुअल सफाई।
3. हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :**

1. माइकल एस. एम. (1999): दलित्स इन मॉडर्न इंडिया: विज़न एंड वैल्यूज,सेज पुब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.
2. मोदक अनुपम (2021): भारत का संविधान बेयर एक्ट, व्हिटसमैन.
3. योजना (अगस्त 2018): प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार.
4. लक्ष्मीकांत एम.(2020): भारत की राजव्यवस्था, मक्ग्रॉ हिल.
5. वानखेड़े डी.के. (2008): सोसिओ इकनोमिक डेवलपमेंट ऑफ़ शेडूल्ड कास्ट्स इन इंडिया, गौतम बुक सेंटर, नई दिल्ली.
6. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/why-it-necessary-to-eradicate-manual-scavenging